संख्या / II–2014–03(05)/2012

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : 23 मई, 2014

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र पोषित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" योजनान्तर्गत 651 क्लस्टर/योजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्यांश धनावंटन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (लघु सिंचाई), भारत सरकार के पत्र संख्या 10–24/2012–लघु सिंचाई (Pt) दिनांक 31.10.2013 तथा आपके पत्र संख्या 187/ल0सिं0/ए0आई0बी0पी0/2014–15 दिनांक 13.05.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 651 क्लस्टर/योजनाओं के कियान्वयन हेतु औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रूपया 54140.94 लाख के सापेक्ष स्वीकृत बजट प्राविधान के कम में निम्नानुसार राज्यांश की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	वित्तीय स्वीकृति
1	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यकम (ए0आई0बी0पी0)	20	954.60
2		30	40.75
3		31	97.85
	योग		1093.20

(₹ दस करोड़ तिरानब्बे लाख बीस हजार मात्र)

1. प्रत्येक क्लस्टर/योजना हेतु जल स्रोत में पर्याप्त जल स्राव होने और जल स्राव मापन के आकडे इस हेतु मान्य अवधि, सीजन व प्रक्रियानुसार लिए गये है इसे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
2. प्रत्येक मामले में लाभ लागत अनुपात का परीक्षण/ प्रमाणीकरण इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों एवं मान्य व्यवस्थानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा, तथा यह यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस दृष्टि से योजनाओं का क्रियान्वयन अलाभप्रद नहीं है।
3. प्रस्तावित योजनाओं से वर्तमान एवं प्रस्तावित पेयजल योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, इसे भी क्रियान्वयन/कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 117/II–2013–03(05)/2012 दिनांक 01.02.2013 एवं शासनादेश संख्या 125/II–2013–03(05)/2013 दिनांक 05.02.2013 में निहित शर्तों के अधीन अनुमोदित

कमशः.........2

योजनाओं में से केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

5. स्वीकृत धनराशि के व्यय करने से पूर्व जहाँ कहीं वांछित हो, सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति सहित कार्यों के प्राक्कलन पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत अवश्य करा लिये जायें।
6. उक्त धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेण्ट) नियमावली 2008 का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पूर्व में इन योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोग प्रमाण–पत्र तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण अग्रेत्तर 15 दिन में उपलब्ध करा दिये जायें।
8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं पर धनराशि व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
10 प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट/साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत, स्वीकृति का वर्ष, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं ठेकेदार का नाम आदि का विवरण अंकित हो।
11. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90 प्रतिशत के0स0) 0104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना 24–वृहद निर्माण अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00–800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऍं 0101–त्वरित सिंचाई लाभ योजना 24–वृहद निर्माण तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00–800–अन्य व्यय – 0101–त्वरित सिंचाई लाभ योजना 24–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318 दिनांक 18.03.2014 के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

कमशः..........3

संख्या 359 / II–2014–03(05)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (लघु सिंचाई), भारत सरकार।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा।
3. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
अपर सचिव